न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–93/2018

CIS NO.-TS-458/2018

साहेब मियाँ एवं अन्य...वादीगण
बनाम
विरेन्द्र यादव एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.09.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 24.02.2021 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 13.09.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण के द्वारा सहएराजी पर अपनी हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पुष्टि एवं अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। वाद की सुनवाई के दौरान सहएराजी के भाग को प्रतिवादीगण अतिक्रमित करके उस पर पक्का नींव घर बनाने वास्ते अपने अन्य जमीन में मिला लिये थे। इसके बाद अतिक्रमित जमीन के निस्वत दखल कब्जा पाने के अनुतोष को नालिश में संशोधन के जरीये जोडा गया। कोविड 19 बिमारी के चलते तथा वादीगण का घर सहएराजी से दुर होने के कारण प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर नालिश के मद न0–01 की सम्पूर्ण एराजी को अपने दखल कब्जें में लेकर उस पर अपना पक्का ईट का दिवार देकर करकट का कई कोठरी बना लिये एवं परिवार के लोगों के साथ रहना शुरू कर दिये है। अतः नालिश में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। संशोधन न्यायहित में आवश्यक है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नही हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि संशोधन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 25.07.2022 को दाखिल किया गया तथा वादीगण के आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–93/2018

CIS NO.-TS-458/2018

साहेब मियाँ एवं अन्य...वादीगण

बनाम

विरेन्द्र यादव एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 13.09.2023	विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वाद दाखिल करने के पश्चात् वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से अपनी बेदखली बतायी गयी है। इसीलिए प्रस्तुत संशोधन आवेदन लाया गया है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 24.02. 2021 को स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 27.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	